लोक अदालत मार्फत पंचायत बाबत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 8.5.18 को पेश है। [signature]

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पंचायत कलमोठिया में दिनांक 15.5.18 पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावे।

[signature]

रीडर

आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी

छीपाबड़ौद जिला-बारां

15.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कलमोठिया पर आज पेश हुई। तहसीलदार छीपाबड़ौद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो शामिल मिसल है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम कलमोठिया का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्रम	खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान
1.	बिन्दु पुत्र पन्नालाल जाति कुम्हार नि. कलमोठिया	351	2.01	1.02
		378	0.17	0.43
		355/1	15.06	17.13
		किता 3	18.04	18.58
2.	पदमचन्द, गणेशराम, गुलाबचन्द पुत्रान लालू, कैलाशीबाई, फूलीबाई पुत्रियां लालू, भौलीबाई पत्नी स्व. लालू कौम मीणा सा. कलमोठिया रहन - SBBJ शाखा हरनावदाशाहजी	355	18.04	20.38

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुसार आदेश डिक्री मुरत्तब जारी हो। पत्रावली नतीजा बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर छीपाबड़ौद

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

बिन्दु पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया छीपा. उनवान बनाम 1. प्रकाश पुत्र भैरा 2. गणेश पुत्र भैरा 3. गुलाबचन्द पुत्र भैरा 4. कन्ना पुत्र पन्नालाल 5. रामकन्या, 6. शंकरलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी कलमोदिया तह० छीपाबड़ौद

दावा बाबत् 183, 53, 209 RTA

मुकदमा नम्बर :– 62/016

निर्णय दिनांक :– 15.5.18

वादी की ओर से.................................की व प्रतिवादी की ओर से..............................

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..............................को..............................(नाम पीठासीन अधिकारी)

..............................उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम कलमोदिया का इकरारनामा के तहत पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर (किया जाता है)

नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	लगान
बिन्दु पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया	351	2.01	1.02
	378	0.17	0.43
	355/1	15.86	17.13
	किता 3	18.04	18.58

खर्चा पक्षकारन अपना – अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 15.5.18 मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ....रूपये पर प्लीटर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तमिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तमील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

नाम काश्तकार	ख०नं०	रकबा	लगान
2- पद्मानन्द, गणेशराम, कुलानन्द, दुर्गा लाल, कौशल्या देवी, हरली देवी, प्रमिला लाला, विमला पत्नी स्व. भोला, कौम मीणा ग्रा. कालापैठ	355	18.64	20.38

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी।
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपख
प्रकरण संख्या :- 62 / 20
दायरा दिनांक :- 04.05.2
निर्णय दिनांक :-26.03.20

Scanned by CamScanner

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 62/2016 दावा
दायरा दिनांक :– 04.05.2016
निर्णय दिनांक :–26.03.2018

उनवान

बिन्दु पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया तहसील छीपाबडौद।

बनाम

1. परमानन्द पुत्र लाला
2. गणेशराम पुत्र लाला
3. गुलाबचन्द पुत्र लाला
4. मन्ना पुत्र पन्नालाल
5. दानमल पुत्र गोपीलाल
6. शंकरलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासीगण कलमोदिया तहसील छीपाबड़ौद
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

वाद अन्तर्गत धारा 183,53,209 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–26.03.2018

अभिभाषक उपस्थित :– 1. – श्री दीनदयाल शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183,53,209 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कलमोदिया तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित खाता संख्या 102 के खसरा नंबर 315 रकबा 2.01 बीघा खसरा नंबर 355 रकबा 33.10 बीघा, खसरा नंबर 378 रकबा 17 बिस्वा, स्थित है। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का खातेदार है। सहखातेदार लाला पुत्र भवाना का हिस्सा 1/2 है। लाला मृतक के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 है, जिनका फौती इन्तकाल नही खुला है। उक्त भूमि वादी द्वारा 90 हजार रू. मे प्रतिवादी क्रम 3 को सन् 2013 में एक साल के लिये मुनाफा काश्त कर दी थी। राशि प्राप्त कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को भूमि काश्त के लिये समला दी। मुनाफा काश्त की अवधी समाप्त सन् 2013 के पूर्व वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से कहा कि सन् 2014 के लिये भूमि काश्त पर जुताना है, तुम करना चाहो तो राशि बढ़ा कर दे दो अन्यथा दुसरे को दूंगा। उस समय कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इसके बाद एक दो बार ओर कहा, टालमटोल कर गये। अन्त मे प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा वादी से न तो मुनाफा काश्त की हां की और न ही बिना वादी की सहमति से भूमि पर कब्जा कर लिया। वादी ने निवेदन भी किया यदि मुनाफे पर काश्त नही करना है, तो भूमि से कब्जा छोड देवे, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कब्जा नही समलाया और आज तक प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने 1/2 वादी की भूमि पर कब्जा कर रखा है। कब्जा छोड़ना नही चाहते है। वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

ताकतवर एस.टी. वर्ग के सदस्य है। प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है, तथा प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 ने बाद मे कब्जा कर लिया। खाता संयुक्त होने से वादी को लगान आज जमा कराने मे परेशानी आती है। कृषि का विकास नही हो पा रहा है। अतः वादी अपने हिस्से 1/2 का अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी का कब्जा अनुसार खाता विभाजन किया जाकर पृथक से वादी के नाम 1/2 हिस्सा का खाता दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा पूर्व में सन् 2013–14 में कब्जा छोड़ने के लिये प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से पृथम बार निवेदन किया। इसके बाद प्रतिवादी क्रम 4 ता 6 से कहा ओर अभी दिनांक 08.04.2016 को भी कब्जा छोड़ने बाबत् सभी से कहा तो साफ मना कर दिया। गाली–गलौच कर लड़ाई–झगड़े पर अमादा हुये। यही अन्तिम तिथि दिनांक 08.04'.2016 को वाद कारण करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कि ओर से श्री पटवर्धन सिंह एड़वोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण को लगभग 11 मौके जवाब पेश करने हेतु दिये गये, परन्तु एक साल बाद भी जवाब पेश नही किया। प्रतिवादीगण दिनांक 08.01.2018 को न तो स्वयं उपस्थित हुये और न ही उनका अभिभाषक उपस्थित हुआ। न्यायालय मे बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण स्वयं व उनके अभिभाषक उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 08.01.2018 को एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम कलमोदिया सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 102 पेश की गई जिसमें लाला पुत्र भवाना हिस्सा 1/2 कौम मीना, बिन्टू पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया हिस्सा 1/2 दर्ज है। साक्ष्य वादी में बिन्टू व नेमीचन्द का शपथ पत्र पेश किया

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन हैं कि विवादित आराजी वाके ग्राम कलमोदिया में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 ता 3 को एक साल के लिए पांति मुनाफे पर भूमि दी गई परन्तु प्रतिवादी गण द्वारा एक साल के वाद भी भूमि को नहीं छोडा। वादी ने प्रतिवादी गण से कई वार निवेदन किया परन्तु भूमि से कब्जा नहीं छोडा है। वादी अपने हिस्से की भूमि 1/2 का अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का वटबारा कराना चाहता है। खाता संयुक्त होने से वादी को लगान आज जमा कराने मे परेशानी आती है। कृषि का विकास नही हो पा रहा है। अतः वादी अपने हिस्से 1/2 का अच्छी मे अच्छी व बुरी मे से बुरी का कब्जा अनुसार खाता विभाजन किया जाकर पृथक से वादी के नाम 1/2 हिस्सा का खाता दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफ सुनी गई। पत्रवली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कलमोदिया तहसील छीपाबडौद सम्वत सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 102 के अनुसार लाला पुत्र भवाना हिस्सा 1/2 कौम मीना, बिन्टू पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया हिस्सा 1/2 दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कलमोदिया के खसरा नंबर 315 रकबा 2.01 बीघा खसरा नंबर 355 रकबा 33.10 बीघा, खसरा नंबर 378 रकबा 17 बिस्वा, स्थित है। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

[illegible] है। सहखातेदार उसका पुत्र भवान का हिस्सा 1/2 है। वादी अपने हिस्से की आराजी का पृथक-पृथक विभाजन कराना चाहता है तथा विभाजन के बाद कब्जा प्राप्त करना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कल्याणीरिया तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 218 रकबा 2.01 बीघा, खसरा नंबर 356 रकबा 33.10 बीघा, खसरा नंबर 378 रकबा 17 बिस्वा, में वादी का हिस्सा 1/2 पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पत्रावली जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

([illegible] शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 62/2016	धारा अन्तर्गत 53,183 RTA	निर्णय दिनांक : 26.03.2018
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री दीनदयाल कुशवाह	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

बिन्दु पुत्र पन्नालाल जाति चमार निवासी कलमोदिया तहसील छीपाबडौद।

बनाम

1. परमानन्द पुत्र लाला
2. गणेशराम पुत्र लाला
3. गुलाबचन्द पुत्र लाला
4. मन्ना पुत्र पन्नालाल
5. दानमल पुत्र गोपीलाल
6. शंकरलाल पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासीगण कलमोदिया तहसील छीपाबड़ौद
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कलमोदिया तहसील छीपाबडौद के खसरा नंबर 315 [351] रकबा 2.01 बीघा खसरा नंबर 355 रकबा 33.10 बीघा, खसरा नंबर 378 रकबा 17 बिस्वा, में वादी का हिस्सा 1/2 पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **26.03.2018** को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

(उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		

Scanned by CamScanner